अब अरबिंदो हॉस्पिटल प्रबंधक को मिली अंडरवर्ल्ड के नाम पर धमकी

▸ महू के व्यापारी को लॉरेंस गैंग द्वारा फिरौती मांगने के मामले में अब तक कोई ठोस सुराग नहीं

इंदौर. शहर में बड़े संस्थानों और प्रभावशाली लोगों को कुख्यात गिरोहों के नाम पर डराने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. महू में व्यापारी को लॉरेंस गैंग के नाम पर मिली धमकी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब सांवेर रोड स्थित अरबिंदो हॉस्पिटल के महाप्रबंधक को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकी भरा फोन आने से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.

बाणगंगा पुलिस के अनुसार अस्पताल के महाप्रबंधक राजीव सिंह और सहायक प्रबंधक नीरज सेन को देर रात +1812 सीरीज के विदेशी नंबर से कॉल किया गया. कॉल करने वाले ने खुद को दाऊद इब्राहिम के न्यूयॉर्क नेटवर्क से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए धमकी दी. प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक पूरा मामला अस्पताल परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर उपजे विवाद से जुड़ा है. पुलिस को आशंका है कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने पहचान छिपाने के लिए इंटरनेट कॉलिंग का सहारा लेते हुए अंडरवर्ल्ड के नाम का इस्तेमाल किया.

महू के व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला बना चुनौती

उधर, महू में अस्पताल संचालक के बेटे से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 'हैरी बॉक्सर' नाम से संपर्क किया था और अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल किए गए थे. तकनीकी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने डाटा मांगा है, जिससे कॉल करने वालों की लोकेशन ट्रेस की जा सके. बाणगंगा थाना और देहात पुलिस साइबर सेल के सहयोग से दोनों मामलों की गहन पड़ताल कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों का मकसद दहशत फैलाकर वसूली करना या दबाव बनाना होता है, लेकिन जल्द ही आरोपियों तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

▸ आत्महत्या का कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी

इंदौर. खजराना थाना क्षेत्र में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक अपने बड़े भाई के साथ रहता था और कांच फिटिंग का काम करता था. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

खजराना थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर में रहने वाले 24 वर्षीय अक्षय पिता रामनाथ ने फांसी लगाकर जान दे दी. अक्षय मूल रूप से हरदा का रहने वाला था. वह इंदौर में अपने बड़े भाई के साथ रहकर कांच फिटिंग का काम करता था. घटना के समय उसका बड़ा भाई किसी काम से गांव गया हुआ था. भाई ने सोमवार को अक्षय को कई बार फोन लगाया, लेकिन जब काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो उसने घबराकर पड़ोसियों को फोन किया और घर जाकर देखने को कहा. भाई के कहने पर जब पड़ोसी अक्षय के कमरे पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख दंग रह गए. अक्षय कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था. पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और उसे उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. खजराना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अक्षय किसी मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी में तो नहीं था. उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है.

एक साल से इंदौर में रह रहा था

अक्षय: परिजनों ने बताया कि करीब एक साल पहले अक्षय अपने भाई अमित के पास रहने इंदौर आया था. उसके माता-पिता मूल रूप से टिमरनी (हरदा) के रहने वाले हैं. अक्षय कांच का काम करता था और कुछ महीने पहले ही उसकी एक युवती से सगाई हुई थी. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध भी थे.

बहन के घर आई वृद्धा की मौत

हीरा नगर थाना क्षेत्र में अपनी बहन से मिलने इंदौर आई एक 65 वर्षीय वृद्धा की अचानक मौत हो गई . प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने मौत की वजह साइलेंट अटैक बताई है .मृतका का नाम 65 वर्षीय दुर्गा पति दिनेश निवासी सागर कोटी, पीथमपुर है . वह अपनी बहन के घर मिलने के लिए इंदौर आई हुई थीं . परिजनों ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद वे घर के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर सामान्य बातचीत कर रही थीं . इसी दौरान वे अचानक सोफे से नीचे गिर पड़ीं और बेसुध हो गईं . घबराए परिजन उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल और फिर वहां से एमवाय अस्पताल ले गए . हालांकि, अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया .

एक नजर में

सड़क हादसे में घायल छात्र की मौत

इंदौर . बाणगंगा इलाके में एक बाइक सवार की हादसे में मौत हो गई . बताया जाता है कि विनोद (19) पुत्र बाटला निवासी कसरावद खरगोन दो माह पहले बाणगंगा इलाके में सड़क हादसे का शिकार हो गया था . उसे उपचार के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था . जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई . विनोद के पिता किसान हैं . वहीं परिवार में दो भाई हैं . विनोद बाणगंगा इलाके की फैक्ट्री में काम करता था .

ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजी गई चॉकलेट रास्ते में हुई गायब

इंदौर . आजादनगर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोलकाता भेजी गई चॉकलेट की बड़ी खेप रास्ते में गायब हो गई . पीड़ित कंपनी संचालक की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक और ट्रांसपोर्ट एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है .पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय योगेश हिंदुजा निवासी सिल्वर स्प्रिंग, एबी रोड तेजाजी नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी कंपनी की चॉकलेट के 75 बॉक्स यूनाइटेड इंडस्ट्रीज, पालदा रोड से सरस्वती प्रोडक्ट, कोलकाता भेजने के लिए इंडियन रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट के जरिए बुक कराए थे . ट्रांसपोर्ट एजेंट मोहम्मद हसीब के माध्यम से ट्रक नम्बर आरजे 18 जीबी 2317 में 63 बॉक्स लोड किए गए . एजेंट ने चालक के रूप में संदीप प्रसाद को भेजने की जानकारी दी थी. निर्धारित समय पर ट्रक के कोलकाता नहीं पहुंचने पर योगेश ने ट्रांसपोर्ट एजेंट से संपर्क किया, जिसने चालक से बात करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगे . इसके बाद पीड़ित को माल हड़पने की आशंका हुई और थाने में शिकायत दर्ज कराई गई . पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर ट्रक, चालक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है .

किशनगंज मुक्तिधाम पर भजन संध्या के साथ हुआ भंडारा

महू . महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शहर भर के विभिन्न इलाकों में अनुष्ठान किए गए . एक तरफ जहां जगह-जगह भंडार आयोजित हुए तो वहीं किशनगंज मुक्तिधाम परिसर में भव्य भजन संध्या के साथ भंडारे का आयोजन भी हुआ . इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे . किशनगंज पंचायत सरपंच प्रतिनिधि व आयोजक मनोज कौशल के नेतृत्व में किए गए आयोजन में जहां शिवरात्रि पर्व पर भव्य शिव बारात निकाली गई, तो वहीं दूसरे दिन शाम को भजन संध्या में देर रात तक मधुर भजन गूंजते रहे . भजन संध्या में पंडित विपुल कृष्ण महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति भरें माहौल में झूमने पर मजबूर कर दिया . साथ ही एक के बाद एक गीतों की प्रस्तुतियों दर्शकों को बांधे रखा . इस संगीत कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माता काली की अद्भुत प्रस्तुति भी देखने को मिली, जिसे दर्शकों में खूब सराहा . आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ .

संतों का किया सम्मान और लिया आशीर्वाद

महू . ग्राम बड़गोदा में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन हुआ . जहां महू के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष कैलाश पांडे, शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विजय नौलखा ने पहुंचकर संतों का शाल श्रीफल एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया . यहां विशेष रूप से बड़गोदा के कांग्रेस अध्यक्ष रमेश गोरा, लोकेंद्र सिंह चौहान, शंकर सिंह सिसोदिया, हरिराम जुलवानिया, दिनेश पाटीदार, दौलत पटेल, कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष नारायण पटेल, विनोद पालीवाल, दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे . प्रारंभ में कैलाश पांडे ने दिवंगत पीठाधीश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया . फिर संत का शाल श्रीफल एवं पुष्पमाला से सम्मान किया . सभी संतों का आशीर्वाद लिया .

एमबीए छात्रा की हत्या से पहले आरोपी ने खाई थी पॉवर बढ़ाने की गोलियां

इंदौर. एमबीए छात्रा की हत्या करने वाले आरोपी पीयूष से द्वारकापुरी थाने की पुलिस की पूछताछ जारी है. उसने पुलिस को बताया था कि वह नशे में था और हत्या से पहले उसने पावर बढ़ाने की गोलियां खाई थीं. रूम पर आने के बाद छात्रा ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो उससे उसका विवाद हुआ था. विवाद के बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

आरोपी ने छात्रा के हाथ-पैर बांध दिए थे और कपड़ा मुंह में ठूंस कर गला घोंट दिया था. हत्या के बाद वह तत्काल नहीं भागा, बल्कि रूम में ही बैठा रहा. उसने फिर शराब पी और शव के साथ गलत हरकतें कीं. बाद में उसने खिड़की-दरवाजे बंद किए और दरवाजे पर ताला लगाकर भाग गया. उसे पता था कि वह अपने मोबाइल की लोकेशन के कारण पकड़ा जा सकता है, इस कारण उसने रेलवे स्टेशन जाने से पहले नई सिम खरीदी. यह भी पता चला कि वह खुद भी ट्रेन से कटकर जान देना चाहता था. यह बात भी सामने आई है कि उसने मुंबई में छात्रा के फोटो के आगे फूल, कुमकुम रखकर तंत्र क्रिया भी की थी. उसे लग रहा था कि ऐसा करने से छात्रा की आत्मा उससे बात करेगी. वह तीन दिन मुंबई के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सफर करता रहा. इस दौरान उसने फोन पर अपने परिजनों से संपर्क किया था. तभी इंदौर पुलिस को उसके मुंबई में होने का पता चला था. पुलिस ने अंधेरी पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया और इंदौर लाई. उधर, उसके परिजनों से भी आरोपी का सामना कराया गया.

हो सकती है फांसी की सजा: बताया जाता है कि आरोपी छात्र का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. कानून के जानकारों के अनुसार, जिन परिस्थितियों में उसने हत्या की है, वह उसे फांसी की सजा दिला सकती है. हत्या के पहले व बाद में दुष्कर्म को पुलिस ने यदि कोर्ट में साबित कर दिया और कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान ले, तो फांसी की सजा सुना सकती है या फिर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है.

ट्रेन के सामने भी आया, पर डरकर पीछे हट गया

आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर है . पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन डर के कारण पटरी से हट गया . एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और शिवांशु जोशी जब आरोपी से पूछताछ करने पहुंचे, तो उसने सादा कागज मांगा . कागज मिलने पर आरोपी ने लिखा कि उसने गलत किया और उसके हाथों अनर्थ हो गया . उसने लिखा कि वह छात्रा से प्यार करता था और अब उसे मरना है . वह पुलिस से छात्रा से मिलवाने की बात करता है . इधर, जांच में यह भी सामने आया है आरोपी मृतक की आत्मा से बात करना चाहता था . वह टोने-टोटके वाले वीडियो भी देखता था .

तेजाजी नगर और सांवेर में जुआ-सट्टे की कार्रवाई

▸ 12 आरोपी पकड़े, नकदी व अन्य सामान भी किया जब्त

इंदौर. शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध जुआ और सट्टेबाजी पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 12 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है. दोनों मामलों में नकदी, ताश के पत्ते, सट्टा पर्चियां और मोबाइल फोन जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है.

तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मरीमाता में पानी की टंकी के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए भीम उर्फ भीमा चौहान, सूरज पुरीया, चंदु भाटी और राकेश चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 3 हजार 300 रुपये नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए. सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

वहीं दूसरी ओर सांवेर पुलिस ने ग्राम आजनोद में रेलवे स्टेशन के पास घुमटी के पीछे सट्टा लिखते हुए जावेद खान, मनोहर सिंह ठाकुर, सचिन वर्मा, रामेश्वर प्रजापत, कमल मुकाती और इक्का उर्फ ऋषिकांत को पकड़ा. मौके से 35 सट्टा अंक पर्चियां, चार लीड पेन, 34 हजार 800 रुपये नगद और करीब 20 हजार रुपये कीमत के चार मोबाइल फोन जब्त किए गए. सभी आरोपियों के खिलाफ सट्टा एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

इंदौर. शादी का झांसा दिलाकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इनकार करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.पुलिस के अनुसार मामला किशनगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है. आरोपी आनंद कुशवाह निवासी ग्राम सोनवाय ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए. जब युवती ने विवाह की बात कही तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

गर्ल फ्रेंड से मिलने पहुंचा नाइजीरियन युवक पकड़ाया

▸ वीजा खत्म होने के बाद 3 साल से शहर में छिपकर रह रहा था आरोपी

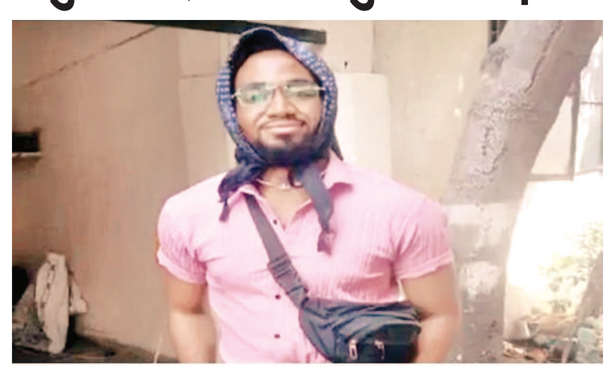

इंदौर. हीरानगर पुलिस ने एक विदेशी युवक को गिरफ्तार कर शहर में अवैध रूप से निवास करने के मामले का खुलासा किया है. आरोपी वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद करीब तीन साल से इंदौर में रह रहा था और पुलिस से बचता फिर रहा था.

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान डॉन पेड्रो चार्लिस निवासी सनसिटी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है. वह कई वर्ष पहले इंदौर आकर एक बीपीओ कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन वर्ष 2023 में उसका वीजा समाप्त हो गया था. इसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद से लसूड़िया पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

हैरानी की बात यह सामने आई कि आरोपी लसूड़िया क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराए से रह रहा था, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के भी आवास बने हुए हैं. लंबे समय तक नजरों से बचते रहने के बाद सोमवार को सूचना मिली कि वह हीरानगर इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है. इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा. पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि उसका वीजा करीब तीन साल पहले खत्म हो चुका था और उसने जानबूझकर इसकी जानकारी किसी को नहीं दी. पुलिस अब उसके मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है और विदेशी अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

शहर ही नहीं देहात में भी सूने मकानों को निशाना बना रहे चोर

▸ चार थाना क्षेत्रों में ताले तोड़कर जेवर और नकदी पर हाथ साफ

इंदौर. जिले के अलग-अलग इलाकों में अज्ञात चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर ली. बाणगंगा, भंवरकुआं, चंदननगर और बेटमा थाना क्षेत्रों में दर्ज चार मामलों से पता चलता है कि चोर गिरोह कितने सक्रिय हैं और मौके का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चारों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की.बाणगंगा थाना क्षेत्र के बजरंगपुरा इलाके में रहने वाली सविता साहू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अलमारी में रखे पुराने इस्तेमाल के दो मंगलसूत्र और सोने की झुमकी सुरक्षित रखी थी. जब गहने निकालने गईं तो अलमारी से सभी जेवर गायब मिले. अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर चोरी कर फरार हो गया. इसी तरह भंवरकुआं क्षेत्र के संत बाग गणेश नगर में निखिलेश मंडलोई के घर चोर ऊपर बने टावर के रास्ते अंदर घुसे. घर का सामान बिखरा मिला और अलमारी से चांदी की मूर्तियां, लक्ष्मी यंत्र, गुल्लक सहित सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए.

वहीं चंदननगर थाना क्षेत्र के गिरिराज विला में अंकित पाटीदार के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने घर में रखी अलमारी और बच्चों की गुल्लक तोड़ दी. गुल्लक में रखी नगदी पूरी तरह गायब पाई गई. उधर बेटमा थाना क्षेत्र की जीवन ज्योति कॉलोनी में शैलेष चौधरी के घर से अज्ञात चोर करीब 60 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर चुराकर ले गए. चोरों ने घर का ताला तोड़कर दो मंगलसूत्र, नथ, कानों के आभूषण, चांदी की पायजेब और चेन पर हाथ साफ किया. पुलिस ने सभी मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री राजेश श्रीमती सुनीता (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10237053)	प्लॉट संख्या 15 के पश्चिमी भाग का वह पूरा टुकड़ा, गोस्वामी रेजीडेंसी, महूगाँव, तहसील महू, जिला इंदौर. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति प्रकार- विक्रय योग्य क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल- 400.00, 400.00	रुपये 1120641 (रु. ग्यारह लाख बीस हजार छह सौ इकतालीस मात्र)	14-10-2025	16/02/ 2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश /या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 18/2/2026 — प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

डिमांड नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) (जिसे इसके बाद "ARCIL" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद "SARFAESI एक्ट'' कहा जाएगा) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और जबकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए कर्जदार/सह-कर्जदारों ने IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड, जो मूल कर्जदाता हैं, से लोन लिया था और जबकि ARCIL ने नीचे बताए गए लोन खातों से संबंधित फाइनेंशियल एसेट्स हासिल कर लिए हैं और जबकि ARCIL SARFAESI एक्ट के तहत सुरक्षित लेनदार है, और उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 2 के साथ, नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है।
लेकिन कुछ लोगों को अलग-अलग कारणों से नोटिस नहीं दिए जा सके। ट्रस्ट का नाम Arcil Trust 2026 015

देनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
श्री तरुण कुमार शाह श्रीमती आयुषी शाह आर.के. मोटर्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10694686)	06-जनवरी-2026, रु. 2455624.71/- (रु. चौबीस लाख पचपन हजार छह सौ चौबीस और पैसा इकहत्तर मात्र)	वह संपत्ति जो इस प्रकार है- प्लॉट नं. LIG11, स्मार्ट सिटी हाईवे, ग्राम मंगलिया सड़क, तहसील सांवेर, जिला इंदौर 452001, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_उप_क्षेत्रफल, सुपर_निर्मित_ उप_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 842.00, 842.00
श्री संजय, श्रीमती वेणु गोयल (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10729516)	05-जनवरी-2026,रुपए 1386154.7/- (रु. तेरह लाख छियासी हजार एक सौ चौवन्न और पैसा सत्तर मात्र)	वह संपत्ति जो इस प्रकार है- प्लॉट नं. 53, सर्वे नं. 9/1/मिन-1, वार्ड नं. 40, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456224, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 450.00, 900.00

इसलिए, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाई गई कुल बकाया राशि का पेमेंट करें. यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि का पेमेंट आगे के ब्याज के साथ करने में विफल रहते हैं, तो ARCIL ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से नोटिस देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री द्वारा ट्रांसफर के लिए निजी समझौते के नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से पहले किसी भी समय, Arcil द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और व्ययों के साथ पूरी बकाया राशि का पेमेंट करके उक्त गिरवी को भुनाया जा सकता है.
ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इसके द्वारा सुरक्षित प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने और/या उससे निपटने से रोका जाता है.

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 18-2-2026
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड. सीआईएन क्रमांक-65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरभाष- +91 2266581300. वेबसाइट- www.arcil.co.in

एक नजर में ▸ संत महाराज के नाम की पट्टी के पीछे खुलेआम परोसी जा रही शराब से समाजजनों में आक्रोश

संतश्री बालीनाथ चौराहा पर संचालित शराब दुकान तत्काल हटाई जाए

इंदौर. मिल क्षेत्र स्थित मालवा मिल चौराहा का नाम बदलकर संतश्री बालीनाथ जी चौराहा किया गया, लेकिन इसी स्थल पर शराब दुकान संचालित है. यहां खुले में लोग शराब पीते रहते हैं, इसे लेकर समाजजनों में भारी रोष है.

मिल क्षेत्र के मालवा मिल चौराहा का नाम परिवर्तन कर बैरवा समाज के संत श्री बालीनाथ जी के नाम पर रखा गया है तथा चौराहे पर संत महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है. चौराहे के सौंदर्यीकरण के तहत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उस पर संतश्री बालीनाथ जी का पूरा नाम भी अंकित किया गया है. संत के नाम से सुशोभित चौराहे पर शराब दुकान का संचालन आस्था के विपरीत है. इस संबंध में समाजजनों ने कई बार प्रशासन को शिकायतें भी की गईं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. देखने में आया है कि संत महाराज के नाम की पट्टी के पीछे शराब दुकान संचालक द्वारा हरि नेट लगाकर तीन-चार टेबलें रख दी गई हैं और खुले में शराब परोसी जा रही है.

यहां ग्राहक खुलेआम शराब का सेवन करते देखे जा सकते हैं, जबकि सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन प्रतिबंधित है. यही नहीं, इस शराब दुकान से मात्र 10 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी मौजूद है, फिर भी खुले में शराब पीने को लेकर नजरअंदाजी की जा रही है. समाजजनों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर शराब दुकान हटाने या नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है. उन्होंने निराकरण नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है.

यह बोले समाजजन...

हमारे धर्मगुरु के मुख के ठीक सामने स्थित शराब दुकान हटाने की मांग हमने की थी . विधायक रमेश मेंदोला को भी इस संबंध में लिखित में दिया था . उन्होंने वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया . इसको लेकर समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है .
– विजय प्रकाश कुवाल

हमारे संत बाबा के सम्मान की बात है, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा . समाज के चुनाव होने वाले हैं . हम उसमें मुद्दा रखेंगे . एक बार फिर विधायक को सूचित किया जाएगा, निराकरण नहीं होने पर जन आंदोलन करेंगे .
– अनिल बैंडवाल

एक तरफ सनातन धर्म का बात चल रही है, दूसरी तरफ हमारे संत महाराज के पावन नाम के नीचे ही पुलिस के सामने शराबखोरी की जा रही है, जबकि सरकार ने खुले में शराब पर पाबंदी लगाई है .
– नरेंद्र भारती